41—(08)—120—2020

पटना में दिनांक—18 अगस्त, 2020 मंगलवार को अपराह्न 4:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

नगर विकास एवं आवास विभाग

1. बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना (बुडको) एवं पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट के बीच बुद्ध स्मृति पार्क में निःशुल्क ध्यान केन्द्र के संचालन हेतु एकरारनामा करने की स्वीकृति के संबंध में। — 1. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

2. पटना महायोजना (मास्टर प्लान), 2031 के अन्तर्गत पटना मेट्रो रेल परियोजना के स्वीकृत कॉरिडोर के दोनों ओर 20—20 मीटर की दूरी तक के क्षेत्रों में संरचनाओं के निर्माण को विनियमित करने हेतु भवनों/ले आउट के नक्शे की स्वीकृति के पूर्व नक्शा स्वीकृति हेतु पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करने तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के भवनों के निर्माण हेतु अनापत्ति का निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लेने के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

3. राज्यपाल सचिवालय बिहार में विशेष पदाधिकारी (वि०वि०) के रिक्त पद पर श्री मणि प्रसाद मिश्र, भा०प्र०से० को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या—10000 दिनांक—10.07.2015 में निहित प्रावधानों को शिथिल करते हुए संविदा के आधार पर दो वर्ष या 65 वर्ष की आयु अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो नियोजित करने के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल —गिरियक के मौजा—घोड़ाकटोरा, थाना नं०—353 के खाता नं०—82 के विभिन्न खेसरा अन्तर्गत कुल 16.4925 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट—I) गैरमजरूआ मालिक किस्म जंगल/जंगलझाड़ी भूमि गंगा जल उद्वह योजना हेतु जल संसाधन विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

5.	वित्तीय वर्ष 2020–21 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान हेतु केन्द्रांश की राशि कम उपलब्ध होने के कारण राज्य स्कीम मद से सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित कुल राशि ₹47,27,95,00,000/– (सैंतालीस अरब सताईस करोड़ पंचानवे लाख रूपये) के व्यय की स्वीकृति तथा कुल उपबंधित अनुदान की राशि में से तत्काल वेतनादि के भुगतान हेतु कुल ₹15,60,22,35,000/– (पन्द्रह अरब साठ करोड़ बाईस लाख पैंतीस हजार रूपये) की व्यय की विमुक्ति।	5.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

6.	"बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी–शिकायत निवारण नियमावली, 2013" अन्तर्गत बिहार राज्य के सभी जिले में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार में नियुक्त एवं वर्त्तमान में कार्यरत कुल 58 (अनठावन) पीठासीन पदाधिकारियों को दिनांक–31.12.2020 अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा नई नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए कार्यरत रखे जाने की स्वीकृति के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

7.	लीज पर लिए गए भवन से निजी क्षेत्र में औपबंधिक रूप से स्थापित एवं संचालित अमिटी विश्वविद्यालय, पटना को विश्वविद्यालय स्थापना हेतु निर्गत आशय पत्र (Letter of Intent) में वर्णित अवधि को दिनांक 18.05.2021 तक अंतिम रूप से विस्तारित करते हुए इस अवधि में औपबंधिक रूप से विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

8.	विभागीय संकल्प संख्या–1529 दिनांक–11.08.2015 एवं 908 दिनांक–02.07.2020 के तहत गठित समिति की प्रारंभिक शिक्षा प्रक्षेत्र से संबंधित अनुशंसा, बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 की स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

9.	विभागीय संकल्प संख्या–1529 दिनांक–11.08.2015 एवं 908 दिनांक–02.07.2020 के तहत गठित समिति की उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रक्षेत्र से संबंधित अनुशंसा, बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 की स्वीकृति के संबंध में।	**9.**	**स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

10.	श्री सौरभ कुमार शर्मा (आई०डी०–5303), प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर को स्वेच्छापूर्वक अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करने एवं दिनांक 20.02.2016 से अद्यतन तिथि तक कार्य से अनुपस्थिति के आधार पर No Work No pay के सिद्वांत को मानते हुए कोई वेतनादि का भुगतान नहीं करने के संबंध में।	**10.**	**स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

11.	बिहार राज्य में यान के अवस्थिति का पता लगाने वाले युक्ति (Vehicle Location Tracking Device) एवं आपातकालीन बटन युक्त सार्वजनिक सेवा यानों के मॉनिटरिंग हेतु "निर्भया फ्रेमवर्क" के तहत कंट्रोल कमांड सेंटर के निर्माण/स्थापना के लिए नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) को एजेंसी के रूप कार्य करने की अनुमति दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	**11.**	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

12.	बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2020 के अनुमोदन के संबंध में।	**12.**	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

13.	"बिहार न्यायिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2020" की स्वीकृति के संबंध में।	**13.**	**स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

14. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा चयनित वाह्य एजेंसी (TPVA) के एकरारनामा को रद्द करने के फलस्वरूप TPVA के स्थान पर अंतरिम व्यवस्था के रूप में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BSEIDC) के माध्यम से आवेदनों के सत्यापन का कार्य कराये जाने एवं सत्यापन के लिए निर्धारित 15 कार्य दिवस के समय–सीमा को बढ़ाकर 30 कार्य दिवस किए जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **14. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

15. बिहार राज्यान्तर्गत वैशाली जिले में निजी क्षेत्र में डॉ० सी०वी० रमण विश्वविद्यालय, वैशाली (भगवानपुर) की स्थायी रूप से स्थापना एवं संचालन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में। — **15. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

16. बिहार शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली–2020 की स्वीकृति के संबंध में। — **16. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

17. "बिहार राज्य शिक्षण संस्थान शिक्षक एवं कर्मचारी (शिकायत निवारण एवं अपील) नियमावली, 2020" की स्वीकृति के संबंध में। — **17. स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

18. राज्य सरकार के सभी विभाग/निगम/निकाय/बोर्ड इत्यादि संस्थानों में ई.–क्रय 2.0 प्रणाली लागू करने के संबंध में। — **18. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

19. राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से निविदा निष्पादन संबंधित GFR, 2017 के नियम–144 (xi) के अनुरूप बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम–30 के उप नियम–(xxi) के बाद उप नियम–(xxii) जोड़े जाने एवं तत्संबंधी भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में राज्य सरकार का दिशा–निर्देश निर्गत करने के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

20. राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मियों यथा लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी (आदेशपाल) के पद (संवर्ग) को तत्काल प्रभाव से मरणशील घोषित करने एवं रिक्त पदों को क्रमिक रूप से प्रत्यार्पित मानते हुए विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद का सृजन तथा उस पर पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के माध्यम से नियोजन की स्वीकृति के संबंध में। — **20. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

21. राज्य के 86 प्रतिकूल संस्कृत विद्यालय अंतर्गत 46 विद्यालय एवं 205 कोटि के संस्कृत विद्यालय अंतर्गत 01 विद्यालय अर्थात् कुल 47 प्रस्वीकृति प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध 15.02.2011 के पूर्व विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों को षष्टम् एवं सप्तम वेतन संरचना के अनुरूप पुनरीक्षित दर से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। — **21. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

22. राज्य के 531 अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों एवं अराजकीय प्रस्वीकृत 86 प्रतिकूल संस्कृत विद्यालयों में 46 विद्यालयों एवं 205 कोटि अंतर्गत 1 विद्यालय अर्थात कुल 47 पुनर्बहाल स्वीकृति प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में दिनांक 15.02.2011 से अथवा बाद में स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक–05.03.2019 के प्रभाव से नवीन वेतन संरचना में नये दर से वेतन स्वीकृति के संबंध में। — **22. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

23. पंचायतीराज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वर्त्तमान वेतन संरचना में 1 अप्रैल, 2021 को देय मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में। — **23. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

24. जल संसाधन विभाग के कार्यों में तकनीकी परामर्श प्रदान करने निमित्त सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी (वेतन स्तर–14/13ए) हेतु तकनीकी परामर्शी के एक गैर संवर्गीय पद का दो वर्षों के लिये अस्थायी रूप से सृजन एवं श्री अंजनी कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को तकनीकी परामर्शी के गैर संवर्गीय पद पर संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए नियुक्त करने के संबंध में। — **24. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

25. कोविड–19 संक्रमण से मुक्त हुये व्यक्तियों के रक्त प्लाज्मा दान करने पर परिवहन व्यय एवं अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति दानकर्त्ता रू०–5000/–(रूपये पाँच हजार) मात्र की प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति। — 25. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

26. बिहार मोबाइल टॉवर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स (OFC) और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 के प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में। — 26. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

27. सीवान जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास के भवन निर्माण, मशीनें एवं उपस्करों के क्रय एवं अन्य सम्बद्ध विविध कार्यो हेतु, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल रू० 568,84,00,000/–(रूपये पाँच सौ अड़सठ करोड़ चौरासी लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति। — 27. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

28. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए संयुक्त उपक्रम नीति, 2020 की स्वीकृति के संबंध में। — 28. स्वीकृत।